मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमाक एफ -9-2/2010/नियम/चार भोपाल,दिनांक 13 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश

विषयः-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को विभागीय जांच के उपरांत पेंशन में कटौती।

म.प्र.सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के तहत पेंशनरों द्वारा उनकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियक्ति पर की गयी सेवा भी शामिल है, किये गये गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी किसी विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में पाये जाने पर उनके पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश के स्थायी रुप से अथवा किसी भी निश्चित अवधि के लिये रोकने अथवा वापस लेने एवं उक्त दुराचरण अथवा लापरवाही के कारण शासन को पहुंचाई गई हानि के पूर्णतः या अंशतः वसूल करने के प्रावधान हैं। उक्त नियम के परंतुक में यह भी प्रावधानित है कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शेष पेंशन की राशि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन की राशि से कम न हो।

2/ कई विभागों द्वारा उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए कार्यवाही किये जाने की बात शासन के ध्यान में आयी है। यह भी देखने में आया है कि कई विभाग उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते समय प्रकरण की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए मात्र औपचारिकता निभाने के उददेश्य से पेंशन के एक अल्प अंश को अत्यंत ही अल्पावधि हेतु रोकने अथवा वापस लेने हेतु या शासन को पहुंचाई गई हानि की पूर्ण वसूली के बजाय आंशिक वसूली के प्रस्ताव मंत्रि परिषद के समक्ष ले आते हैं। यह उक्त नियम के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है।

3/ उपरोक्त के आलोक में शासन के समस्त विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम,1976 के नियम 9 के उल्लेखित प्रावधान गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही के प्रकरणों में लागू होते हैं। ऐसे गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में विभागों से यह अपेक्षित है कि वे इनको पूरी संजीदगी से लेते हुए प्रकरण की प्रकृति की गंभीरता के अनुसार ही पेंशन या उसके किसी अंश को रोकने, वापस लेने या उससे शासन को पहुंचाई गयी हानि की वसूली हेतु कार्यवाही करें। ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभागों द्वारा खानापूर्ति हेतु या औपचारिकतावश पेंशन के एक अल्प अंश को अत्यंत ही अल्पावधि हेतु रोकने अथवा वापस लेने या शासन को पहुंचाई गयी हानि की ब्याज सहित पूर्ण वसूली के बजाय आंशिक वसूली की कार्यवाही किया जाना सर्वथा अनुचित है।

4/ अतएव उक्त प्रावधानों के अनुसार मंत्रि-परिषद को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है:-

(क) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन रोकने या वापस लेने संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित शासकीय सेवक द्वारा किये गये दुराचरण अथवा लापरवाही की प्रकृति का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिये और उसके अनुसार ही पूर्ण या आंशिक रुप से पेंशन रोकने अथवा वापस लेने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये।

(ख) जहां तक संभव हो, पेंशन आंशिक या पूर्ण रुप से स्थायी रुप से ही रोकने या वापस लेने हेतु प्रस्तावित किया जाना चाहिये। यदि किन्हीं कारणों से पेंशन अस्थायी रुप से रोकना या वापस लेना आवश्यक समझा जाता है, तब उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा किये गये गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही के कारण शासन को हानि पहुंचाई गयी है, उन प्रकरणों में अनिवार्यतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उक्त हानि की वसूली हेतु प्रस्तावित करते समय पेशन से वसूली की दर इस प्रकार निर्धारित की गयी हो कि शासन को संबंधित शासकीय सेवक द्वारा पहुंचाई गयी हानि (राज्य शासन द्वारा समय समय पर अग्रिमों हेतु निर्धारित ब्याज सहित) की पूर्ण वसूली उनके 70 वर्ष की आयु होने तक हो सके। यदि किसी प्रकरण में उक्तानुसार निर्धारित राशि की पूर्ण वसूली संबंधित शासकीय सेवक की पेंशन से संभव न हो तो शेष राशि के लिये, पेंशन में कमी के आदेश के समय ही, सिविल वाद भी दायर कराना चाहिये।

(घ) ऐसे प्रकरणों में जहां पेंशन के किसी अंश को रोका जाना है, यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि संबंधित को न्यूनतम पेंशन आवश्यक रुप से प्राप्त हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(जी.पी.सिंघल)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन,वित्त विभाग